

प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्मल, स्थित चन्दौसी।

प्रशासनिक आदेश संख्या : 81 / 2021,

दिनांक-28.04.2021


आदेश

कोविड-19 के बढ़ते केसेस को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्र सं0-1946/LXXXVII-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित-26.04.2021 के माध्यम से न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु दिए गए दिशा-निर्देशों के प्रकाश में अग्रिम आदेश तक जजशिप सम्मल स्थित चन्दौसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सत्र परीक्षणिय मामलों से संबंधित जमानत प्रार्थना पत्रों/अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्रों एवं अन्य आवश्यक प्रकृति के प्रार्थना-पत्रों तथा रिमाण्ड/विचाराधीन बन्दियों की ओर से प्रेषित अन्य प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्रों की सुनवाई/निस्तारण हेतु क्रमावर्तन (Rotation) के अनुसार निम्न व्यवस्था की जाती है :-

क. सं.	न्यायालय का नाम	क्रमावर्तन (Rotation) के अनुसार कार्य करने की दिनांक
1	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्मल स्थित चन्दौसी	30.04.2021
2	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्मल स्थित चन्दौसी,	03.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 06.05.2021 व 07.05.2021
3	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, सम्मल स्थित चन्दौसी	10.05.2021 11.05.2021 12.05.2021 13.05.2021
4	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्मल स्थित चन्दौसी	17.05.2021 18.05.2021 19.05.2021 20.05.2021 व 21.05.2021

उपरोक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी तिथि नियत पर अपने से भिन्न न्यायालय से संबंधित कार्य को संबंधित न्यायालय के प्रभारी अधिकारी के रूप में निष्पादित करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्मल स्थित चन्दौसी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र में मजिस्ट्रेट न्यायालयों से संबंधित निर्दिष्ट कार्य निष्पादन हेतु मजिस्ट्रेट न्यायालयों को क्रमावर्तन (Rotation) के अनुसार न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।


जनपद न्यायाधीश
सम्मल स्थित चन्दौसी। 28/4/2021

Seen
SP

Seen
28/4/21